संoसंo : 33 / वि.–(भत्ता)–132 / 2023 746/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक 15/03/2024

संकल्प

विषय : राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराया भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में कार्यरत सभी कोटि के सेविवर्ग को Bihar State Employees (House Rent Allowance) Rules, 1980 में निहित प्रावधान के तहत मकान किराया भत्ता अनुमान्य है। वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर मकान किराया भत्ता के अनुमान्यता के संबंध में स्पष्टीकरण एवं दिशा–निर्देश निर्गत है।

2. राज्य सरकार का पति–पत्नी दोनों के सरकारी सेवक होने एवं एक साथ निजी आवास / किराए के आवास में रहने की स्थिति में मकान किराया भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में कोई संकल्प / नियम / परिपत्र नहीं रहने के कारण इस संबंध में नीतिगत लिए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. Ministry of Finance, Department of Expenditure, Govt. Of India के OM No. 2/4/2022/E.II(B) दिनांक 30.12.2022 द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मियों को मकान किराया भत्ता अनुमान्य करने के संबंध में Compendium निर्गत है।

उक्त OM के कंडिका 5.4 के अनुसार–

5.4 Drawal of HRA by husband and wife when both of them happen to be Government servants and are living in hired/owned accommodation- HRA would be admissible to both as per their entitlement.

4. वर्गीकृत शहरों की सीमा से सटे 8 k.m. की परिधि में कार्यरत राज्य कर्मियों के लिए Bihar State Employees (House Rent Allowance) Rules, 1980 के नियम 4.(a)(ii) में निम्न प्रावधान है :–

(ii) Government servants whose place of duty is in the proximity of a qualified city, and who, if necessity have to reside within the city, may be granted the house rent allowance admissible in that city. The Administrative Department, in respect of staff serving under them, are authorised to sanction the allowance under this clause provided they are satisfied that-

(1) the distance between the place of duty and the periphery of the municipal limits of the qualified city does not exceed 8 kilometres; and

Scanned with CamScanner

(2) the staff concerned have to reside within the qualified city out of necessity, i.e., for want of accommodation nearer to their place of duty.

Note 1. - Rule 4(b)(ii) is applicable only at place which are within 8 kilometres of municipal limits of classified cities but not included within the Urban Agglomeration of any city. Government Servants within the area of the Urban Agglomeration of classified city as mentioned in Annexure IV will be eligible for house rent allowance at the rate admissible.

Note 2. - Rule 4(b)(ii) will not apply to establishment entitled to house rent allowance, project allowance, remote locality allowance, hill allowance or such other allowances under any other provision of this rule or other general or special orders.

उक्त नियम के नोट–2 में यह स्पष्ट किया गया था कि यह प्रावधान उन कार्यालयों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें किसी अन्य प्रावधान अथवा इस नियमावली के अन्य किसी प्रावधान के तहत आवास किराया भत्ता अनुमान्य किया गया हो।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 236 दिनांक 02.02.2013 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कर्मियों, जिनका कार्यालय वर्गीकृत शहरों की परिसीमा से 8 k.m. के दायरे में अवस्थित है, के लिए मकान किराया भत्ता की दर वही होंगी, जो वित्त विभाग के संकल्प सं० 660 दिनांक 28.02.2009 की कंडिका –15 (D) में अवर्गीकृत श्रेणी के स्थानों के लिए निर्धारित की गयी है।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 8886 दिनांक 24.12.1986 एवं संकल्प सं० 5509 दिनांक 08.09.1987 के निर्गत होने फलस्वरूप वर्गीकृत शहरों की परिसीमा के 8 k.m. के दायरे में अवस्थित कार्यालयों में पदस्थापित कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता की अनुमान्य दर स्वतः निर्धारित हो गई, जो कि वर्ष 1980 में लागू की गई नियमावली में निर्धारित नहीं थी। इसके कारण नियमावली के नियम–4 (A)(II) के Note-2 के अनुसार ऐसे कर्मियों के लिए वर्गीकृत शहर के लिए अनुमान्य भत्ता की दरें लागू नहीं मानी जायेंगी।

उक्त नियमावली के नियम–4 (A)(II) के Note-2 के दृष्टिपथ में अवर्गीकृत श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें निर्धारित होने के फलस्वरूप वर्गीकृत शहरों की सीमा से सटे 8 k.m. की परिधि में कार्यरत कर्मियों के लिए वर्गीकृत शहरों के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता प्रभावी नहीं रहा।

6. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के OM No.2/4/2022/E.II(B) दिनांक 30.12.2022 के कंडिका 3.4 द्वारा वर्गीकृत शहरों की सीमा से सटे 8 k.m. की परिधि में

Scanned with CamScanner

कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए भी वर्गीकृत शहरों के लिए निम्नरूपेण मकान किराया भत्ता अनुमान्य किया गया है :–

3. AREAS WHERE ADMISSIBLE

3.4 Staff working in Central Government establishments within a distance of **8** kilometers from the periphery of the municipal limits of a qualified city will be allowed House Rent Allowance at the rates admissible in that city even though they may not be residing within those municipal limits, provided that-

(iii) Benefit of the concession of HRA may be extended to the employees working in a place which though a town panchayat is generally dependent for its Essential supplies on a qualified city and is within the **8** kms. limit of the periphery of the eligible city.

(iv) HRA will also be payable to the Central Government employees within the area of the Urban Agglomeration (UA) of the classified city at the rates admissible in the classified city. The existing provisions for the payment of House Rent Allowance under Paras.**3.4** above, will, however, continue to be applicable only at places which are within **8** kilometers of municipal limits of classified cities, but which are not included within UA of any city, subject to fulfillment of usual conditions laid down and subject to issue of specific sanctions therefore as before.

7. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त OM के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को निम्नरूपेण आवास किराया भत्ता अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है :–

(I) पति–पत्नी दोनों के सरकारी सेवक होने एवं एक साथ निजी आवास/किराए के आवास में रहने की स्थिति में आवास किराया भत्ता दोनों को उनकी पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा।

(II) वर्गीकृत शहरों (X एवं Y श्रेणी के शहरों) की सीमा से सटे 8 k.m. की परिधि में कार्यरत राज्य के सरकारी सेवकों के लिए भी वर्गीकृत शहरों के लिए अनुमान्य आवास किराया भत्ता देय होगा।

8. आवास किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत संबंधित नियम/परिपत्र/पत्र इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।

9. आवास किराया भत्ता नियमावली, 1980 (यथा संशोधित) के शेष प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

10. उक्त निर्णय आदेश निर्गत की तिथि के प्रभाव से लागू होगा।

Scanned with CamScanner

11 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 697 / वि० दिनांक 12.03.2024 के क्रम में दिनांक 12.03.2024 की बैठक के मद सं० 16 में दी गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15/03/24.

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 33 / वि०–(भत्ता)–132 / 2023 746/वि० राँची, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/24

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 33 / वि०–(भत्ता)–132 / 2023 746/वि० राँची, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव / सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सभी उपायुक्त / सभी कोषागार / उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / वित्त विभाग, झारखण्ड के सभी पदाधिकारी / जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड / श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/24

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 33 / वि०–(भत्ता)–132 / 2023 746/वि० राँची, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त प्रशाखा–33 को सूचना उपलब्ध करावें।

15/03/24

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

Scanned with CamScanner